कार्यालय नगर पंचायत रूद्रपुर, देवरिया

निविदा आमंत्रण - सूचना

14 वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रूद्रपुर में कराये जाने वाले निम्नलिखित निर्माण कार्यो को कराये जाने हेतु वर्ष 2019–20 के पंजीकृत एव नवीनीकृत ठेकेदारों से दिनांक 17–01–2020 को 14.00 बजे तक मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। आमंत्रित निविदाओं को नगर पंचायत कार्यालय रूद्रपुर पर रखें गये निविदा पेटिका में दिनांक 17–01–2020 को 14.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। जिसे उसी दिन नगर पंचायत कार्यालय रूद्रपुर पर अधोहस्ताक्षरी/सक्षम अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष 16.00 बजे खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 16–01–2020 को समय 10.30 बजे से 16.00 बजे तक नगर पंचायत कार्यालय रूद्रपुर व जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि एन0एस0सी0/के0वी0पी0/एफ0डी0 आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रूद्रपुर के पद नाम बंधक हो प्रति कार्यों हेतु अलग–अलग संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करतें हुए जमा करना अनिवार्य है। निर्माण कार्यो एवं जमानत धनराशि से सम्बन्धित बिस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत रूद्रपुर से कार्यालय समय एवं दिवस मे की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें :–

1. निविदादाताओं को अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी अद्यतन हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि एन0एस0सी0/के0वी0 पी0/एफ0डी0 आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रूद्रपुर के पद नाम बंधक हो प्रत्येक कार्यों हेतु अलग–अलग संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करते हुए जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र में दर प्रतिशत आधार पर अंको एवं शब्दो में स्पष्ट रूप से भरे जायेंगे तथा निर्धारत समय तक निविदा को नगर पंचायत कार्यालय रूद्रपुर व जिलाधिकारी कार्यालय टी0 ए0 सी0 पटल देवरिया परं रखे गये निविदा पेटिका में डालना होगा।
4. एक या समस्त निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत रुद्रपुर को सुरक्षित है।
5. आगणन में उल्लिखित आइटमो हेतु रेट अलग अलग नहीं भरे जायेंगे।
6. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता का स्पष्ट हस्ताक्षरं एवं पूरा पता एवं मोबाइल नम्बर अंकित होना चाहिए।
7. निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा,तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा बिलम्ब की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु उल्लिखित आगणन की दरें लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित हैं उक्त आगणन में किसी प्रकार की भिन्नता/अन्तर की स्थिति में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित दरों पर ही आकलित किया जायेगा।
9. ऐसे ठेकेदार जो वर्ष 2019–20 हेतु अपने ठेकेदारी पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराये हैं वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
10. निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात छः माह तक कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर जमानत जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में बिलम्ब पर नियमानुसार अर्थ दण्ड देय होगा, एवं जमानत धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
12. अनुबन्ध हेतु स्टाम्प पेपर (कोषागार) ट्रेजरी से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा प्राप्त करने की तिथि मे यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त व खोली जायेगी।
14. निविदा में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
15. कार्यो की विस्तृत जानकारी व अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत रूद्रपुर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16. कार्य हेतु ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में व्यवधान,अभद्रता,दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी जायेगी।

17. शासनादेश संख्या 24वीआईपी(1)/नौ–5–2017–120 बजट/2013 दिनांक 24 अगस्त 2017 के अनुसार किया जाने वाला निर्माण, पूर्ण होने के पश्चात पॉच वर्ष तक अनुरक्षण/रख रखाव कान्ट्रेक्टर/फर्म द्वारा किया जायेगा साथ ही 05 प्रतिशत की धनराशि परफारमेन्स गारन्टी के रुप मे 05 वर्ष के लिए रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख–रखाव होने की दशा में ही भुगतान किया जायेगा।
18. शासनादेश संख्या 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0जी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार निर्माण कार्यो में ठेकेदार/फर्म द्वारा कम (Below) टेण्डर पर कार्य स्वीकृत करने के साथ–साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी–

    (A). 10 प्रतिशत तक BOQ आगणन की दर से कम दरें डाले जाने की अवस्था में 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर ली जायेगी।

    (B). 10 प्रतिशत से अधिक BOQ आगणन की दर से कम दरें डाले जाने की अवस्था में 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर ली जायेगी।
19. जिन ठेकेदारों/फर्मों द्वारा नगर पंचायत रूद्रपुर में पूर्व में लिए गये कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया है वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसे ठेकेदारों के टेण्डर पर कोई विचार नही होगा।
20. इस विज्ञापन को www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	10 प्रति0 जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	प्रा0 वि0 **B.R.C.** रुद्रपुर के परिसर में बाउण्ड्रीवाल व गेट का निर्माण कार्य। लाला टोली वार्ड	390500.00	39050.00	400.00	कार्यादेश प्राप्ति से एक माह

(उपेन्द्र नाथ सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

(लालमती देवी)
अध्यक्ष
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

पत्रांक 671(3) /न0पं0रू0/ 2019–20 दिनांक 10-01-2020

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 जिलाधिकारी, देवरिया।
2 अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (स्था0 नि0) देवरिया।
3 जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी को कार्यो की सूची एवं सीडी www.deoria.nic.in पर प्रकाशनार्थ।
4 कार्यालय नगर पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5 विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' गोरखपुर व ''राष्ट्रीय सहारा'' गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम स्थान में कराकर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

लालमती देवी
अध्यक्ष
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया